स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 323, दिनांक 06–11–2024

थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष जायसवाल जनपद जौनपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 06–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 126/2024 धाराः 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आशीष जायसवाल को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

आशीष जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी हबुसामोड़, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सोहासा मिश्रान गेट के पास तरहटी रोड, थाना क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर। दिनांकः 06–11–2024, समय 15:15 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, अजय कुमार यादव, रोहित सिंह, सोनू व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम दिनांक 06–11–2024 को जनपद जौनपुर के थानाक्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर से गैंगेस्टर के अभियोग में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष जायसवाल उपरोक्त सोहासा मिश्रान गेट के पास तरहटी रोड, थाना क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर के पास मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड पर यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर व सुँघाकर उनके सामान व पैसों की चोरी कर लेते हैं तथा जो सामान व पैसा पाते हैं, उससे अपना तथा अपने परिवार

का भरण पोषण करते हैं। उसके गैंग का सरगना राजू जायसवाल पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद जायसवाल निवासी करसड़ा, थाना कछवा, जनपद मिर्जापुर है, जिनके साथ वह दिनांक 09–11–2023 को जंघई रेलवे स्टेशन गया था, जहॉ पर मुम्बई से आने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने वाले उम्रदराज यात्री के हाथ में बक्सा आदि सामान था, जिसके पीछे–पीछे हम लोग मछली शहर तक जाने वाली बस में बैठ गये और उस व्यक्ति का बक्सा लदवाने में मदद किये फिर जब वह आदमी बस में बैठा तो उसी सीट पर बगल में राजू जायसवाल भी बैठ गया तथा वह बगल वाली सीट पर बैठा था। कुछ देर बाद राजू जायसवाल उस व्यक्ति को नशीला पदार्थ मिलाया हुआ बिस्किट व नमकीन खिलाया, जिससे कुछ देर बाद वह यात्री बेहोश हो गया। जब बस मछली शहर पहुॅची तो हम दोनों पहले ही उसका बक्सा उतार कर ई–रिक्शा से मुॅगरा बादशाहपुर तिराहा चले आये और वहॉ से प्रयागराज की बस में जाकर आखिरी वाली सीट पर बैठ गये तथा बक्सा खोलकर देखा तो उसमें 50 हजार रूपये, डायरी सहित एटीएम निकाल लिया और मुॅगरा बादशाहपुर व फूलपुर के बीच में बस रूकवाकर हम लोग बक्सा बस में छोड़कर उतर लिये। एटीएम का पिनकोड डायरी में लिखा हुआ था, जिससे हम दोनों लोग विभिन्न एटीएम से पैसे निकालकर पेट्रोल व डीजल तथा ट्रक का टायर आदि सामान खरीदें जब एटीएम से पैसा निकलना बन्द हो गया तो एटीएम कार्ड व डायरी को गंगा नदी में फेंक दिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी होने पर हम लोग इधर–उधर लुक छिप कर रहने लगे। काफी समय व्यतीत होने के बाद हम लोग पुनः घटनाओं को अन्जाम देने के लिए योजना बना रहे थे कि दिनांक 25–12–2023 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उक्त घटित घटनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 01–05–2024 को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम–1986 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसके ऊपर रू0 50,00/– का पुरस्कार भी घोषित हुआ है। पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर वह गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर–उधर लुक छिप कर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल उपरोक्त को थाना मछली शहर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम–1986 में थाना मुॅगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त आशीष जायसवाल</u> <u>उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u> :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	291/2023	328/379/411 भादवि	मछलीशहर	जौनपुर
2	320/2023	307/379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 8/22 एनडीपीएस एक्ट।	मछलीशहर	जौनपुर
3	126/2024	3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप अधि0 **(वांछित/पुरस्कार)**	मछलीशहर	जौनपुर